न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 661/2015

1. बंशीधर पुत्र श्री रूडाराम
2. मदन लाल पुत्र भरताराम
3. रामकिशन पुत्र भरताराम
4. राजेन्द्र पुत्र भरताराम
5. रिछपाल पुत्र सूरजाराम
6. मुकेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल
7. जितेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल
8. जलदीप पुत्र ग्यारसीलाल
9. प्रदीप पुत्र अमीचन्द

समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भौरीलाल जाति मीणा, निवासीः ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासीः मकान नंबर 131, किशन नगर लक्ष्मण पथ, श्याम नगर, जयपुर।
2. जीवालाल पुत्र भौरीलाल
3. हरदयाल पुत्र भौरीलाल
4. मनोज कुमार पुत्र भौरीलाल
5. केसर देवी पुत्री भौरीलाल पत्नि करण सिंह

समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासीः मकान नंबर 43, मीणा कॉलोनी, गंगापोल दरवाजे के बाहर, जयपुर।

6. विमला देवी पुत्री भौरीलाल पत्नि गोपीनाथ जाति मीणा निवासीः ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासीः मकान नंबर 244, शमशान घाट के पास, नई सब्जी मंडी, अलवर।
7. इन्द्रा देवी पुत्री भौरी लाल पत्नि मुरारी लाल जाति मीणा निवासीः ग्राम बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासीः भरत विहार, खरूंजा वाला रोड, नियत तोताराम बिल्डिंग मैटेरियल द्वारका नई दिल्ली।
8. उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर वाद संख्या 92/2015 उनवानी बंशीधर व अन्य बनाम रामेश्वर प्रसाद व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री गोगराज जी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री लालचन्द जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 7

निर्णय दिनांकः 17/03/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर वाद संख्या 92/2015 बउनवानी बंशीधर व. अन्य बनाम रामेश्वर प्रसाद व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 15.12. 2015 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बागावासचौरानी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नंबर 1373 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1783 रकबा 6.08 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1784 रकबा 2.53 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 9.10 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 1373 रकबा 0.49 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 721/2 से बना तथा हाल आराजी खसरा नंबर 1783 रकबा 6.08 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 903 से तथा हाल खसरा नंबर 1784 रकबा 2.53 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 904/1 से बना है। विवादित आराजी के गत खसरा नंबरान पर वादीगण व वादीगण के बुजुर्गान करीब 80 साल से लगातार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के बुजुर्गान के बाद अब विवादित आराजी पर वादीगण काबिज है और काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण का अपने बुजुर्गान के समय से करीब 80 साल से कब्जा मुखालफाना एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा चला आता है एवं 80 साल से लगातार कब्जा रहने पर वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी हकूक भी प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 5 लगायत 9 का 1/3 हिस्सा है और इसी हिस्सा मुताबिक वादीगण संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 बेईमान व चालाक किस्म लोग है जो वादीगण की आराजी को हडप करना चाहते है जिसका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल ने बाला बाला राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विवादित आराजी सालिम का आवंटन दिनांक 25.05.1961 को करा लिया व अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल करा लिया तथा भौरीलाल की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने विवादित आराजी का अमल जरिये विरासत राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से करवा लिया जो इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है और वादीगण के हकूको के मुकाबले बातिल बेअसर नाकाबिल पाबंदी है। प्रतिवादीगण का पिता भौरीलाल शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी करता था तथा भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। भौरीलाल ने गलत व फर्जी तरीके से उक्त भूमि बिना कब्जे के आवंटन करवा ली जबकि विवादित भूमि पर कभी भी भौरीलाल व प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं रहा है बल्कि विवादित आराजी पर वादीगण व वादीगण के बुजुर्गान का कब्जा ही रहा है तथा लगातार 80 साल से बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा रहने से वादीगण को कब्जा मुखालफाना एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनन हकूक खातेदारी भी प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार से विवादित आराजी के वादीगण ही काबिज काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

खातेदार है तथा विवादित आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का कोई संबंध हक हिस्सा किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 बेईमान व चालाक किस्म लोग है जो वादीगण की आराजी को हडप करना चाहते है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, मुन्तकिल करना चाहते है। इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को पूर्व में नहीं हो सकी क्योकि वादीगण सीधे सादे व्यक्ति है तथा वादीगण इसी मुगालते में रहे कि अस्सी साल से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिये यह आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम ही होगी किन्तु कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाली व वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहा व जाहिर किया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम है तथा असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ही विवादित आराजी के काबिज काश्तकार खातेदार है वे वादीगण को विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने देगे और वे इसे दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल करेगे। इस पर हल्का व तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त करने पर गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया एवं आराजीयात को बेचान करने की धमकी दी इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे कि ग्राम बागावासचौरानी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नंबर 1373 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1783 रकबा 6.08 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1784 रकबा 2.53 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 9.10 हैक्टेयर के वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण व्यवधान उत्पन्न न करे, न ही आराजी को विक्रय, हस्तान्तरित ही करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा एवं संविदा की विशिष्ट अनुपालना का कृषि भूमि से संबंधित था जिसका क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय को वाद में विधिवत सुनवाई कर साक्ष्य ली जाकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के कथनों पर विश्वास करते हुये अपीलान्ट का वाद गलत रूप से खारिज किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता के पक्ष में हुये अलॉटमेन्ट को सही माना है। विधिनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2012 (1) आर.आर.टी. पेज 868 व 2011 (2) आर.आर. टी. पेज 721 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 1373 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1783 रकबा 6.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1784 रकबा 2.53 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 9.10 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान खसरा नंबर 1373 साबिक खसरा नंबर 721/2 से, वर्तमान खसरा नंबर 1783 साबिक खसरा नंबर 903 से एवं वर्तमान खसरा नंबर 1784 साबिक खसरा नंबर 904/1 से बनना मिलान क्षेत्रफल से बखूबी साबित है। साबिक खसरा नंबर 721/2, 903 एवं 904/1 की आराजी का आवंटन प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल के नाम दिनांक 25.05.1961 को हुआ था। अपीलान्ट/वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अलॉटमेन्ट दिनांक 25.05.1961 को प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर विधि विरूद्व तरीके से आवंटन करवाये जाने के तथ्य वर्णित किये है किन्तु अपीलान्ट/वादी द्वारा आवंटन विधि विरूद्व होने के तथ्य वर्णित करने के अतिरिक्त आज दिवस तक उक्त आवंटन के विरूद्व कोई अपील या कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं की गई जिससे अपीलान्ट का उज्र कि दिनांक 25.05.1961 को प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल के हक में किया गया आवंटन गलत हो साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किये जाने से निराधार व कपोल कल्पित पाया जाता है। वादी द्वारा वादपत्र में विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत् एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गई, उक्त विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता भौरीलाल को आवंटित होने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में भौरीलाल का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है एवं भौरीलाल की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान में खातेदार है। एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है एवं ना ही प्रतिकूल कब्जे के द्वारा कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार अर्जित कर सकता है। माननीय राजस्व मंडल की लार्जर बैन्च द्वारा भी अपने न्यायिक दृष्टांत 2011 आर.आर.डी पेज 508 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य एवं 2018 आर.आर.डी. 715 सरजुराव बनाम अमृतलाल वगैराह में निर्णय प्रतिपादित कर स्पष्टीकरण दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2015 को विधिनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान न कर सही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर लस्पा होते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner